

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर  
राजस्व अपील संख्या 39/2019 (2019/00314)

1. श्री गजराज सिंह पुत्र अन्ना सिंह
2. श्री राजू सिंह पुत्र अन्ना सिंह
3. श्रीमती मोहनी पुत्री अन्ना सिंह
4. सवाई सिंह पुत्र अन्ना सिंह
5. शैतान सिंह पुत्र अन्ना सिंह

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम बडल्या, तहसील व जिला-अजमेर। ..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपस्थित :-
1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक अपीलार्थी
  2. श्री हेमराज राठौड़ राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :- 20.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2075 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम बडल्या तहसील अजमेर व जिला-अजमेर स्थित आराजी खसरा सं० 776/6051 रकबा 0-07 हैक्टर किस्म बीड (चरागाह) में से 0-0110 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से पक्की दुकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 04/2018 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.05.2018 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 15.05.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम बडल्या की खसरा नं० 776/6051 की प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से यानि करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वर्तमान में प्रश्नगत आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर द्वारा पारित आदेश साईक्लोस्टाईल है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अतः



*(Signature)*  
जिला कलक्टर  
अजमेर

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय बीड (चरागाह) भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के तहत होने से अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। राजकीय बीड (चरागाह) भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



*(विश्व मोहन शर्मा)*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलेक्टर,  
अजमेर